सत्यमेव जयते

राजस्थान राजपत्र विशेषांक	RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary
साधिकार प्रकाशित	Published by Authority
अग्रहायण 11, सोमवार, *शाके 1946-* दिसम्बर 02, *2024*	
Agrahayana 11, Monday, Saka 1946- December 02, 2024	

भाग-1(ख)

महत्वपूर्ण सरकारी आज्ञायें।

वन विभाग (क)

विज्ञप्ति

जयपुर, अक्टूबर 18, 2024

संख्या प. 2(61)वन/2024 :-चूंकि संलग्न अनुसूची में वर्णित वन भूमि एवं बंजर भूमि सरकार की सम्पत्तियां है या उनमें सरकार के स्वामित्व अधिकार है या उनकी सम्पूर्ण या आंशिक वन उपज पर सरकार का अधिकार है,

और चूंकि ऊपर कथित वन भूमि या बंजर भूमि को सरकार, राजस्थान वन अधिनियम, 1953 की धारा 29 की उप धारा (1) के अन्तर्गत संरक्षित वन के रुप में घोषित करने का विचार रखती है,

और चूंकि, पूर्वोक्त भूमि पर सरकार और निजी व्यक्तियों के अधिकारों की सीमा एवं स्वरुप अभी तक किसी प्रकार से लेखबद्ध नहीं किये गये है,

और चूंकि, सरकार यह भी विचार रखती है कि पूर्वोक्त वनभूमि या बंजर भूमि में या पर सरकार एवं निजी व्यक्तियों के अधिकारों की सीमा एवं स्वरुप के संबंध में जांच किया जाना एवं उन्हें लेखबद्ध किया जाना आवश्यक है, परन्तु चूंकि इन कार्यों के सम्पादन में जितना समय लगेगा कि इस प्रक्रिया के समाप्त होने तक सरकार के अधिकारों को क्षति पहुचाने की आशंका रहेगी।

अब इसलिए, राजस्थान वन अधिनियम, 1953 (1953 का अधिनियम सं. 13) की धारा 29 की उप धारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में सरकार वन बन्दोबस्त अधिकारी को पूर्वोक्त वनभूमि या बंजर भूमि में या सरकार एवं निजी व्यक्तियों के अधिकारों की जांच करके उन्हें लेखबद्ध करने हेतु नियुक्ति करती है और ऐसी जांच, साक्ष्य एवं अभिलेख उस प्रणाली में किया जायेगा जैसा कि इस अधिनियम की धारा 6,7,8,10,11(1), 12, 13, 14, 17, 18 और 19 में प्रवहित है।

और, इस अधिनियम की धारा 29 की उपधारा (3) के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अनुसरण में, राजस्थान सरकार ऊपर कथित जांच एवं अभिलेख के विचारार्थ रहते, कथित वनभूमि एवं बंजर भूमि को इस विज्ञप्ति के द्वारा संरक्षित (Protected Forest) वन के रूप में घोषित करती है, परन्तु इससे व्यक्तियों या वर्ग विशेष के वर्तमान अधिकारों में किसी भी प्रकार की कमी नहीं होगी और न ही उन पर कोई विपरित प्रभाव पड़ेगा।

और इस अधिनियम की धारा 30 द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अग्रेत्तर अनुसरण में सरकार यह भी घोषणा करती है कि उक्त रक्षित वन (Protected Forest) के वृक्ष जो इसके संलग्न द्वितीय अनुसूची में अंकित किये गये है, इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशित होने की तिथि से आरक्षित (Reserved) हो जावेंगे और पूर्वोक्त तारीख से कथित वन में पत्थर खोदना या चूना या लकड़ी का कोयला जलाया जाना अथवा किसी भी प्रकार की वन उपज का संग्रहण किया जाना या निष्कासन करना या हटाया

जाना और उक्त वन में किसी भूमि की खुदाई या कृषि हेतु या भवन निर्माण हेतु या मवेशी चराने या अन्य प्रयोजनार्थ वन की सफाई करना या वन भूमि को खण्डित किया जाना निषिद्ध करती है।

संलग्न:- अनुसूची (वन भूमि एवं बंजर भूमि)

द्वितीय अनूसूची (रक्षित वृक्ष)

राज्यपाल की आज्ञा से,

बीजो जॉय,

विशिष्ट शासन सचिव (वन)।

प्रथम अनुसूची (वन भूमि एवं बंजर भूमि)

क्र सं	नाम ब्लाक	नाम तहसील	नाम जिला	दिशा	दिशावार सीमा विवरण	राजस्व ग्राम	विवरण		
							खसरा न.	क्षेत्रफल बीघा बिस्वा	भूमि किस्म
1	मोती की बेरी A	गडरारोड़	बाडमेर	उत्तर	ग्राम के मोती की बेरी खसरा न. 3761/3294 की भूमि	मोती की बेरी	3767/ 3297	200.0454 बीघा (32.3829 है.)	गे.मु. जंगलात
				दक्षिण	ग्राम के मोती की बेरी खसरा न.3875/3301 की भूमि				
				पश्चिम	ग्राम के मोती की बेरी खसरा न 3297 एवं 3298 की भूमि				
				पूर्व	ग्राम के मोती की बेरी खसरा न. 3768/3297 की भूमि				
					योग			200.0454 बीघा (32.3829 है.)	

लक्ष्मण सिंह भाटी,
क्षेत्रीय वन अधिकारी,
शिव।

सविता दहिया,IFS,
उप वन संरक्षक,
बाड़मेर।

द्वितीय अनुसूची

पेड़ / पौधों की सूची

प्रस्तावित वनखंड में आने वाली वनस्तपतियों के नामो की सूची

क्र.स.	**बोटेनिकल नाम**	**हिंदी नाम**
1	ProsopisCinerariya	खेजड़ी
2	Salvadora	जाल
3	Tecomella undulata	रोहिडा
4	Capparis decidua	केर
5	Ziziphus rotundifoliya	झड बेरी
6	Acacia Senegal	कुमट
7	Zizyphus Jujube	बेर
8	Acacia tortilis	इजराइली बबूल
9	Cenchrus biflorus	भुरट
10	Lasiurus scindicus	सेवन
11	Laptadenia pyrotechnica	खीम्प
12	Giant calotrope	आक़
13	Colligonum polygonoides	फोग
14	Crotalaria burhia	सणिया /छग
15	Areva javanica	बुई

लक्ष्मण सिंह भाटी,
क्षेत्रीय वन अधिकारी,
शिव।

सविता दहिया,IFS,
उप वन संरक्षक,
बाड़मेर।

प्रमाण- पत्र

वनखण्ड- मोती की बेरी A

रेंज- शिव

वनमण्डल- बाड़मेर (राज.)

1. संलग्न प्रारूप में दर्शायी गई भूमि गे.मु.जंगलात.के रूप में दर्ज है। प्रस्तावित भूमि का मौजा रोहिड़ी के खसरा नम्बर 3767/3297 का इन्द्राज राजस्व रिकार्ड में गे.मु.जंगलात एवं गे.मु.वाले वन के रूप में वन विभाग के नाम दर्ज है।

2. विज्ञप्ति प्रपत्र में उल्लेखित भूमि क्षेत्र विभाग के अधीन है। प्रस्तावित भूमि में कोई अतिक्रमण, खनन कार्य नहीं हुए है। चूंकि खसरा नम्बर 3767/3297 की भूमि वन विभाग के नाम पुर्व में ही दर्ज है इसलिए ग्राम पंचायत से सहमति प्राप्त करना आवश्यक नहीं है।
3. प्रस्तावित भूमि पर वृक्षों का घनत्व 0.10 से 0.30 तक का है एवं इन क्षेत्रों में मुख्य इलरायली बबूल, कुमट, जाल, केर, खेजडी, रोहिड़ा, भुरट, सेवण,खींप, आक, सनिया, बुई, फोग आदि प्रजातियों के पेड़ ,झाड़ियां एवं घास है।
4. प्रस्तावित वन क्षेत्र की समस्त भूमि विभाग के अधीन है तथा समीपवर्ती खातेदारी भूमियां वन सीमाओं से पृथक है एवं इससे प्रस्तावित वन क्षेत्रों के संरक्षण में कोई अवरोध नहीं होगा।
5. प्रस्तावित भूमि का मानचित्र संलग्न है।
6. पूर्व में खसरावार भूमि का मौके पर सुविज्ञ रूप से सीमाज्ञान नहीं होने के कारण अधिसूचना हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं किये जा सके किन्तु अब सीमाज्ञान के पश्चात नये प्रस्ताव प्रारूप बनाये जाकर प्रेषित किये जा रहे है।
7. इस वन भूमि का पूर्व में राजपत्र में प्रकाशन नहीं हुआ है।

लक्ष्मण सिंह भाटी,
क्षेत्रीय वन अधिकारी,
शिव।

सविता दहिया,IFS,
उप वन संरक्षक,
बाड़मेर।

राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर।